राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 39/2025 निगरानी

1. बलदेव पुत्र कालु बागरिया, निवासी अगरपुरा, ग्राम पंचायत हलेड, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा 2. होकम पुत्र कालु बागरिया, निवासी अगरपुरा, ग्राम पंचायत हलेड़, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. ग्राम पंचायत हलेड, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव / सरपंच ग्राम पंचायत हलेड तहसील व जिला भीलवाडा
–निगराकार		–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतराज अधिनियम 1994
विरूद्ध ग्राम पंचायत हलेड पट्टा संख्या 210 दिनांक 15.04.2013

उपस्थित – श्री भूपेन्द्र सिंह चारण, अधिवक्ता निगराकार की ओर से
श्री अभिमन्यू जोशी, गैर निगराकार–1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.02.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा **ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन** बाबत अन्दर हल्का आबादी ग्राम अगरपुरा, ग्राम पंचायत हलेड, तहसील व जिला भीलवाडा मे स्थित आराजी संख्या 963 का समस्त पट्टा जारी करने का निर्णय व पट्टा प्रचलित विधि व नियमों की बिना पालना किये गलत व अवैध तौर किया गया है। पट्टे में कथित आराजी संख्या 963 के संबंध में ग्राम पंचायत हलेड को ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोनार्थ सामुदायिक भवन बाबत कोई पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं रहा हैं उक्त आराजी संख्या 963 ग्राम पंचायत हलेड के हक अधिकार, आधिपत्य की नहीं रही हैं इस कारण उक्त आराजी के संबंध मे उक्त पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत हलेड को नहीं है क्योंकि आराजी संख्या 963 पर पुश्तैनी तौर निगराकार एवं उनके पूर्वजों के हक अधिकार व कब्जे की रही हैं तथा वर्तमान में निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य में हैं तथा उक्त आराजी संख्या 963 की भूमि रकबा 7 बिस्वा निगराकार की पुश्तैनी मौरूषी जायदाद है जो निगराकार के पिता कालु बागरिया के समय से उनके हक अधिकार, कब्जे मे होकर उपयोग उपभोग मे निरन्तर चली आ रही है। कालु बागरिया की मृत्यु बाद उसके वारिसान के मध्य पारिवारिक बंटवारा के तहत

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार के हक हिस्से में आई अन्य वारिसान का उक्त जायदाद में हक हिस्सा नहीं है। उक्त जायदाद पर निगराकार के पिता का पिछले 75 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा था निगराकार के पिता की मृत्यु हो चुकी हैं तथा मृत्यु के पश्चात निगराकार उक्त जायदाद पर काबिज होकर मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है तथा अपनी उक्त जायदाद मे निगराकार ने विद्युत कनेक्शन पिछले काफी वर्षों से ले रखा हैं तथा सरकारी सहायता से अपनी उक्त जायदाद में शौचालय का निर्माण कर रखा है तथा निगराकार अपने जन्म से ही उक्त जायदाद में निवास करता चला आ रहा है निगराकार एवं उसके परिवारजन के सभी पहचान के दस्ताबेज अपनी उक्त जायदाद के पते के बने हुए हैं। उक्त जायदाद निगराकार की पुश्तैनी जायदाद है जिस पर निगराकार के अलावा अन्य किसी का कोई हक अधिकार नही है। निगराकार अपनी उक्त जायदाद पर नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत पट्टा जारी कराने का अधिकारी हैं लेकिन विपक्षी के यहां निगराकार द्वारा बार–बार निवेदन करने व पट्टा पत्रावली पेश करने के उपरांत भी विपक्षी ने उक्त जायदाद का निगराकार के नाम पट्टा जारी नहीं किया तथा उक्त जायदाद से विपक्षी ने दिनांक 05.02.2014 को मौके पर आकर निगराकार को जबरन् उक्त जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी जिस पर निगराकार ने गैर निगराकार को जरिये अधिवक्ता दिनांक 11. 02.2014 को पंजीकृत नोटिस अन्तर्गत धारा 109 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के तहत प्रेषित किया एवं उक्त जायदाद से जबरन बेदखल नहीं करने व पट्टा जारी करने की मांग की लेकिन गैर निगराकार ने निगराकार की उक्त जायदाद का निगराकार के नाम पट्टा जारी नहीं किया, इस पर निगराकार ने गैर निगराकार के विरुद्ध एक वाद/अपील न्यायालय में पेश की जिसको स्वीकार करते हुए न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2 भीलवाडा ने प्रकरण संख्या 01/2016 अपील दिवानी मे निर्णय दिनांक 23.07.2018 से गैर निगराकार को निर्देशित किया कि वह निगराकार को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादग्रस्त जायदाद से बेदखल नहीं करे व जायदाद का पट्टा पात्रता के आधार पर निगराकार के नाम जारी करने का आदेश जारी करें, उक्त निर्णय व आदेश प्रभावी हैं जिसकी गैर निगराकार ने कोई अपील आदि नहीं की उक्त अपील/वाद मे न्यायालय ने वादग्रस्त जायदाद की मौका रिपोर्ट जरिये कमिश्नर मंगवाई जिसमे भी वादग्रस्त जायदाद पर निगराकार का कब्जा होना एवं जायदाद उसके हक अधिकार आधिपत्य की पाई। उक्त निर्णय व डिक्री एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट से पूर्णतः यह साबित है कि उक्त जायदाद निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उसके हक अधिकार की है। जिस पर गैर निगराकार का कोई हक अधिकार व कब्जा आदि नही हैं तथा निगराकार की उक्त जायदाद के संबंध मे गैर निगराकार को किसी अन्य के पक्ष में कोई पट्टा जारी करने का हक अधिकार नही हैं फिर भी गैर निगराकार ने गैर कानुनी तरीके से **ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन** बाबत उक्त गलत एवं अवैध पट्टा बिना किसी हक अधिकार के एवं कब्जे के जारी कर दिया हैं जो निगराकार की जायदाद का होने से बमुकाबले निगराकार अवैध व गलत होने से निरस्त होने योग्य है। निगराकार का उक्त वर्णित अवैध फर्जी गलत पट्टे में वर्णित जायदाद पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं तथा वर्तमान मे भी निगराकार का उक्त तथाकथित पट्टे की आबादी भूमि मे निगराकार का मकान बना हुआ है तथा वह अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। निगराकार के पक्ष में न्यायालय का उक्त निर्णय व आदेश होने के पश्चात निगराकार ने

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपनी उक्त जायदाद जिसके पड़ौस पूर्व– चारभुजा की डोहली, पश्चिम– प्यारा रामपाल कुम्हार का मकान, उत्तर–आम रास्ता कोटा रोड, दक्षिण–मदन आगाल की आराजी नपत्ति 150 बाई 100 फिट का पट्टा जारी करने हेतु नियमानुसार पत्रावली गैर निगराकार के यहां पेश कर रखी है जिस पर गैर निगराकार ने प्रस्तुत पट्टे की पत्रावली के संबंध में निगराकार से पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थनापत्र मौका नक्शा मौका निरीक्षण शुल्क 120/–रू. प्राप्त कर रसीद पुस्तक संख्या 2 कम संख्या 14 दिनांक 24.11.2021 जारी की। जिसको काफी समय व्यतीत हो चुका है लेकिन गैर निगराकार जो कि निगराकार से दुर्भावनाग्रस्त हैं निगराकार द्वारा प्रस्तुत पट्टे की उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं कर तथा नियमानुसार शुल्क प्राप्त करने के उपरांत भी निगराकार के नाम उक्त जायदाद का पट्टा आज तक जारी नहीं किया, न तो पट्टा जारी करने का निर्णय लिया, न ही पत्रावली निरस्त करने का निर्णय लिया। गैर निगराकार का उक्त जायदाद पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, न ही वर्तमान मे है न ही गैर निगराकार द्वारा जारी पट्टे की आराजी संख्या 963 मे कोई सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ, फिर भी गैर निगराकार ने राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के वर्णित नियमों व कानुन से परे जाकर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए बिना निगराकार को सुने व सुनवाई का अवसर प्रदान किये गैर निगराकार के पक्ष में उक्त तथाकथित फर्जी व गलत अवैध पट्टा जारी किया हैं जो गलत व अवैध होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षी ने ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन बाबत उक्त तथाकथित पट्टा सरासर गलत एवं अवैध जारी किया हैं गैर निगराकार ने निगराकार को उसकी बहुमुल्य सम्पत्ति से वंचित करने की गरज से उक्त तथाकथित पट्टा उक्त आशय का राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के नियमों की अवहेलना व अवज्ञा करते हुए जारी किया हैं जो कि निगराकार की जायदाद के संबंध में होने से बमुकाबले निगराकार गलत व अवैध है। गैर निगराकार ने उक्त तथाकथित पट्टा घोरी छुपे बिना निगराकार को सुने, सुनवाई का अवसर प्रदान किये जारी किया है जबकि गैर निगराकार को यह जानकारी हैं कि उक्त जायदाद निगराकार की पुश्तैनी होकर उसके कब्जे मे होकर उसके उपयोग उपभोग भुगतभोग में हैं इसके बावजुद भी गैर निगराकार ने विधि से परे जाकर उक्त तथाकथित पट्टा अवैध व मनमाने तौर जारी किया है जो कि कतई वैध नहीं है। पट्टा जारी करने में संबंधित ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायत सामान्य नियम के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना करनी होती हैं लेकिन ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन के पक्ष में उक्त पट्टा जारी करने में किसी प्रकार के प्रावधानों की पालना नहीं की गई हैं तथा उक्त तथाकथित पट्टे मे न तो पत्रावली संख्या अंकित हैं, न ही उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में कोई विधिक औपचारिकताओं का उल्लेख हैं जिससे यह स्पष्ट हैं कि उक्त तथाकथित पट्टा अवैध तौर गोपनीय तरीके से निगराकार को उसकी बहुमुल्य जायदाद से वंचित करने की गरज से जारी किया है जो गलत है। गैर निगराकार ने अवैध तौर विपक्षी ने ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन के हेतु निगराकार के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि का पट्टा जारी कर दिया हैं जबकि निगराकार उक्त तथाकथित पट्टे की आराजी संख्या 963 का पट्टा अपने पक्ष में जारी कराने का पूर्ण अधिकारी है। उक्त तथाकथित पट्टा बमुकाबले निगराकार शुन्य, निस्प्रभावी, निरस्त होने योग्य है। पट्टा जारी करने की कानुनन औपचारिकताएं होती हैं तथा औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत ही पट्टा जारी किया जाता हैं तथा पट्टे की

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

रजिस्ट्री करवाई जाती हैं लेकिन उक्त तथाकथित पट्टा जारी करने मे किसी प्रकार की औपचारिकता का पालन नहीं किया है। उक्त तथाकथित जारी पट्टा एवं पट्टा जारी करने का निर्णय गलत एवं अवैध हैं जिसके आधार पर ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन हेतु तथाकथित आवासीय भूमि पर कोई अधिकार उत्पन्न नही होते हैं। उक्त पट्टा विपक्षी ने सरासर गलत एवं अवैध जारी किया हैं जो कि बमुकाबले निगराकार निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टा जारी करने को 10 वर्ष से अधिक का समय निकल चुका हैं लेकिन मौके पर सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हुआ हैं तथा मौके पर निगराकार का आवासीय मकान बना होकर वह अपने परिवार सहित निवास कर रहा हैं आराजी संख्या 963 पर निगराकार का अपने पूर्वजों के समय से पुश्तैनी तौर कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त जायदाद निगराकार के स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसका निगराकार नियमानुसार अपने नाम पर पुश्तैनी तौर पट्टा जारी करवाने का अधिकारी है। निगराकार द्वारा ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन बाबत जारी उक्त तथाकथित पट्टा मिलीभगतपूर्ण है उक्त तथाकथित जारी **पट्टे मे कोई पत्रावली संख्या व दिनांक आदि अंकित नहीं हैं** जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त तथाकथित पट्टा साजिशपूर्वक तरीके से अवैध व गलत तौर नियम कानुन से परे जाकर जारी किया हैं जो कतई वैध नहीं है। इस कारण अपास्त होकर निरस्त होने योग्य है। निगराकार के पास **ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन** के पक्ष में उक्त जारी अवैध पट्टे को निरस्त कराने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा हैं, **ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन** के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने का निर्णय व जारी पट्टा शुन्य, निस्प्रभावी, निरस्त एवं अपास्त होने योग्य हैं। गैर निगराकार का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा केवल मात्र राजस्व रेकार्ड मे ग्राम पंचायत हलेड के नाम उक्त आराजी दर्ज होने से विपक्षी ने उक्त तथाकथित पट्टा गलत व अवैध तौर जारी किया हैं विवादित भूखण्ड निगराकार का पुश्तैनी भूखण्ड है जिस पर निगराकार का अपने पिता के समय से ही कब्जा एवं हक अधिकार चला आ रहा है तथा निगराकाकर विवादग्रस्त स्थल का अपने नाम नियमानुसार पट्टा जारी कराने का अधिकारी है। अतः निवेदन हैं कि यह निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी द्वारा ग्रामवासी अगरपुरा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन के पक्ष में जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 210 बुक संख्या 5 दिनांक 15/04/2013 अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से अपास्त फरमाया जावें।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या– 1 के प्रस्तुत जवाब अुनसार निगराकारान् द्वारा पेश निगरानी मन मकसूद आधारो पर दुराशयपुर्वक पेश की गई है जो कि कानूनन पोषणीय नही हैं, प्रस्तुत निगरानी तथा कथित पट्टा संख्या 210 दिनांक 15/04/2013 से सम्बन्धित हैं जिसे कतिपय व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत हलेड के ग्राम अगरपुरा की आबादी भूनि के सम्बन्ध में सार्वजनिक प्रयोजन / सामुदायिक भवन के नाम पर जारी होना कथित किया गया है। ग्राम पंचायत हलेड द्वारा सविनय स्पष्टतः निवेदन है कि तथाकथित सामुदायिक भवन के पट्टे का मूल अभिलेख ग्राम पंचायत हलेड के कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रचलन में लाई जा रही तथाकथित पट्टे की फोटोप्रति जालि / कूटरचित

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिसका वस्तुतः कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं हैं। तथाकथित पट्टे का कोई मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तथा न ही इस तथाकथित पट्टे बाबत् कोई ईन्द्राज अथवा प्रविष्टी पट्टा रजिस्टर में है तथा न ही तथाकथित पट्टे का आवेदन पत्र, शुल्क रसीद, सीमांकन व कब्जा या सुपुर्दगी पत्र उपलब्ध है जिस दस्तावेज का अस्तित्व ही रिकॉर्ड में नहीं है, वह कानून की दृष्टि में शुन्य (**Void ab initio**) हैं। केवल फोटोकॉपी के आधार पर न तो स्वामित्व न ही कब्जा और ना ही कोई वैधानिक अधिकार उत्पन्न हो सकता हैं, विशेषकर तब जब मूल दस्तावेज ही अनुउपलब्ध हो तथा जारी करने वाली प्राधिकारी संस्था ग्राम पंचायत हलेड स्वयं दस्तावेज को नकार रही हो कूटरचित/जाली दस्तावेज पर आधारित कोई भी दावा प्रारम्भ से ही अवैध होता है। यदि यह मान भी लिया जाए (जो कि अस्वीकार्य हैं) कि कोई पट्टा कभी जारी भी हुआ हो तो भी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम–1996 विशेषकर नियम–158 के अन्तर्गत निम्न अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं जिनका कि पालन नहीं किया गया है यथा पट्टा चाहने बाबत् विधिवत् आवेदन, पट्टा आवेदन का ग्रामसभा या कोरम द्वारा अनुमोदन तत्पश्चात् देय शुल्क जमा किया जाकर पट्टा जारी कर पट्टा रजिस्टर में उक्त पट्टे का ईन्द्राज कर पट्टे की भूमि की सीमांकन कर पट्टादाता द्वारा पट्टाग्रहिता को कब्जा सुपुर्द कर कब्जा सुपुर्दगी को अभिलेख एवं रिकॉर्ड पर लिये जाकर पट्टे को पंजीकृत किये जाने की प्रक्रिया विहित की गई हैं। जैर निगरानी तथा कथित पट्टे बाबत उपरी वर्णित नियम एवं प्रक्रिया का पालन नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कथित पट्टा जाली होकर अवैध एवं शून्य है। यदि यह मान भी लिया जाए (जो कि अस्वीकार्य है) कि कोई पट्टा कभी जारी भी हुआ हो तो भी प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लघंन हुआ है क्योंकि कथित पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई नोटिस जारी किया गया न कोई उजरदारी/आपत्ति आमंत्रित की गई तथा न ही विहित प्रक्रिया के तहत आपत्ति की सुनवाई का अवसर दिया गया एवं कथित पट्टे के जारी होने की तारीख से आज दिनांक तक किसी भी प्रकार के सामुदायिक भवन का निर्माण नही हुआ है, सामुदायिक भवन केवल कागजी दावा होकर महज शिगूफा है, इससे जाहिर है कि कथित पट्टे में सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य मात्र दिखावा हैं। गैर निगराकार ग्राम पंचायत हलेड के रिकॉर्ड में पट्टा मौजूद नहीं है परन्तु उसकी फोटोकॉपी कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रसारित कर प्रचलन में लाई जा रही हैं तो यह गम्भीर जालसाजी का मामला है. ऐसे जाली दस्तावेजो को निरस्त एवं खारिज करना सार्वजनिक एवं प्रशासनिक न्याय व्यवस्था के हित में कथित पट्टा न तो कभी जारी हुआ तथा पंचायत रिकॉर्ड में अस्तित्व विहीन है। अतः कथित पट्टा शून्य अवैध एवं निष्प्रावी घोषित किये जाने योग्य हैं। निगराकारान स्वयं अवैध कब्जाधारी / अतिक्रमी रहे हैं जिन्हें किसी भी स्तर पर निगरानी से सम्बन्धित भूमि पर पट्टा प्राप्त करने की पात्रता व ग्राम पंचायत हलेड द्वारा जारी वैध व पंजीकृत पट्टे को चुनौती देने की पात्रता नहीं हैं। निगराकारान द्वारा पूर्व में भी गैर निगराकार के विरुद्ध विभिन्न मंचो पर असफल कार्रवाईया की जा चुकी हैं एवं वर्तमान निगरानी केवल गैर निगराकार को हैरान परेशान व प्रताडित कर अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की गई हैं। वस्तु स्थिति यह है कि निगराकारान द्वारा पट्टे की भूमि पर अतिक्रमण एवं अपचार कारित करने का प्रयास किया गया था, जिसको गैर निगराकार द्वारा विधिवत तरीके से निरूध किया गया। विवादित भूमि पर कभी भी निगराकारन का कोई वैध कब्जा व दखल नही रहा है। निगराकारान, गैर निगराकार ग्राम पंचायत हलेड की भूमि पर जबरन काबिज होना चाहते है तथा इस बाबत

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यूसेन्स व उपद्रव कारित करते है व इसी बदनियती की पूर्ति हेतु न्यायालय श्रीमान् को गुमराह कर न्यायिक प्रक्रिया दुरुपयोग करने बाबत् यह दुराशयपूर्ण जैर कार्रवाई निगरानी निगराकारान द्वारा पैश की गई। निगराकारान के कथनो व अभिवचनो में घोर विरोधाभास है क्योंकि निगराकारान स्वयं को कभी जैर निगरानी पट्टो की भूमि पर खुद को पिछले 75 वर्षों से काबिज बताते है तथा साथ ही साथ कभी तीन अलग–अलग स्थानो पर अपना कब्जा बताते है तथा उक्त तथाकथित कब्जे के आधार पर न्यायालय श्रीमान् आपके समक्ष मनमकसूद तथ्यो पर निगरानी पेश करते है। निगराकार जैर निगरानी पट्टे की जमीन को कभी पुश्तैनी भूमि बताते है तथा कभी पंचायत भूमि बताते है। अतः ऐसे आत्म विरोधी एवं अस्थिर एवं भ्रामक कथनो पर कोई भी वैधानिक राहत प्रदान नही की जा सकती है। कथित पट्टा अस्तित्वहीन, जाली व शून्य घोषित किया जाने का आदेश फरमावें। निवेदन है कि उक्त प्रकरण 39/2025 निगरानी को निरस्त करवाने की कृपा करावें।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत पट्टा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सामुदायिक भवन बाबत जारी ही नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत गैर निरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी नहीं होने से निगरानी आधारहीन, सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हलेड पंचायत समिति सुवाणा तहसील वं जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा